

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 162
जिसका उत्तर दिनांक 08.12.2022 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्रों को साइबर खतरा

162 प्रो. मनोज कुमार झा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सितंबर 2019 के साइबर हमले के बाद देश के साइबर-परमाणु सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने कंप्यूटर एंड इन्फोर्मेशन सिक्योरिटी एडवाइजर ग्रुप और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर परमाणु ऊर्जा अवसंरचना को साइबर खतरों से बचाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रणालियों में, संयंत्र को साइबर हमले से सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इन सुरक्षा उपायों में प्राधिकार, अधिप्रमाणन और अभिगम नियंत्रण तंत्र, ठोस विन्यास नियंत्रण और निगरानी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रणालियों को इंटरनेट से अलग रखा गया है और प्रशासनिक नेटवर्क से अभिगम्य नहीं है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में प्रशासनिक नेटवर्क में सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे इंटरनेट और प्रशासनिक इंटरनेट संयोजकता को मजबूत करना, अपनेय मीडिया पर प्रतिबंध, वेबसाइटों और आईपी को रोक देना।
- (ख) तथा (ग) कंप्यूटर और सूचना सुरक्षा सलाहकार समूह (सीआईएसएजी) - डीएई द्वारा राष्ट्रीय एजेंसी, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) के साथ जांच की गई है। उनकी सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं

- इंटरनेट और इंटरनेट अभिगम का भौतिक पृथक्करण

- समर्पित इंटरनेट उपयोग के लिए संरक्षित वर्चुअल ब्राउज़िंग टर्मिनल
- अधिप्रमाणन के लिए आवश्यक सुरक्षित डाटा अंतरण प्रावधान मौजूद हैं
- नए वेब अनुप्रयोगों को लागू करने तथा/अथवा लैन/आधारिक संरचना में परिवर्तन करने से पहले की स्वतंत्र रूप से संरक्षा समीक्षा
- संगठन में आईटी प्रणाली पर सूचना सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक कार्य बल का गठन।
- अपनेय मीडिया का सीमित उपयोग
